छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग,
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

//अधिसूचना//

नया रायपुर, दिनांक 19/06/2017

क्रमांक एफ 10–6/2017/16 :– असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :–

असंगठित कर्मकार अंत्येष्ठि सहायता योजनाः–

(अ) योजना का प्रावधान :–

I. योजना का नाम "**असंगठित कर्मकार अंत्येष्ठि सहायता योजना**" होगा।

II. इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत असंगठित कर्मकार के मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को अंत्येष्ठि सहायता हेतु राशि रूपये 5,000/– प्रदान किया जावेगा।

III. यह योजना अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा।

(ब) योजना हेतु पात्रता :–

I. प्रदेश के किसी भी जिले में छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के किसी भी प्रवर्ग में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

II. 18 से 60 वर्ष की उर्म के असंगठित श्रमिक इस योजना के लिये पात्र होंगे।

III. अंत्येष्ठि सहायता का भुगतान जानबूझकर की गई आत्महत्या या मादक द्रवों या पदार्थों के सेवन से हुई मृत्यु अथवा अपराध करने के उद्देश्य से कानून का उल्लंघन करके एक–दूसरे से हुई मार–पीट से हुई मृत्यु की स्थिति में प्रदान नहीं किया जावेगा।

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :–

I. योजना का आवेदन मृत्यु तिथि से एक वर्ष तक स्वीकृत किया जावेगा।

II. योजना के तहत आवेदन किसी भी च्वाईस सेंटर/कम्प्यूटर सेंटर/श्रम केन्द्र अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय में समयावधि में जाकर किया जा सकता है।

III. योजना के आवेदन हेतु मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र स्कैन कर संलग्न करना अनिवार्य है।

IV. योजना के तहत ऑनलाईन आवेदन करते समय बैंक पास बुक, नॉमिनी का मोबाईल नंबर संलग्न करना अनिवार्य है।

....2....

(द) स्वीकृति का अधिकार :–

पात्रता की जांच उपरांत संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी/श्रम निरीक्षक/श्रम उप निरीक्षकों द्वारा आवेदनों की स्वीकृति की जावेगी।

(ई) भुगतान की प्रक्रिया :–

I. संबंधित श्रम कार्यालय द्वारा उक्त स्वीकृत अंत्येष्ठि सहायता राशि हिताधिकारी असंगठित श्रमिक के उत्तराधिकारी (नामित व्यक्ति) को प्रदान किया जावेगा।

II. हितग्राही के ऑनलाईन इन्द्राज में यदि किसी उत्तराधिकारी का उल्लेख न हो तो हितग्राही के बैंक पासबुक में उल्लेखित नामिनी को योजना का लाभ प्रदाय किया जावेगा।

III. योजना की स्वीकृति पश्चात् राशि आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से नामिनी के खाते में स्थानांतरित की जावेगी।

(ड) विसंगति का निराकरण :–

योजना में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

19/6/17

(याकुब खेस्स)
उप सचिव,
छत्तीसगढ शासन, श्रम विभाग
नया रायपुर, दिनांक 19/06/2017

पृष्ठांकन एफ 10–6/2017/16

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग एवं पदेन अध्यक्ष, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, नया रायपुर (छ0ग0)
2. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)
3. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)
4. नोडल अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, नया रायपुर (छ0ग0)।
5. कलेक्टर जिला– .... (छ0ग0)।
6. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी कार्यालय .... (छ0ग0)
7. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाश उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

8. गार्ड फाईल।

19/6/17
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

C:\Users\Netam\Desktop\netam Desc\adhisuchana.doc